भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1320
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

1320. श्री देवजी पटेल:
श्री पी. वेलुसामी:
श्री एस.आर. पार्थिबन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है और इसके लिए कुल कितनी बजट राशि स्वीकृत की गई है;
(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का है;
(ग) यदि हां, तो राजस्थान के सांचोर जिले सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिले में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी के कारण नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं; और
(ड) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ) सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और तत्पश्चात् एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। 2014 से पहले के 387 मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई है जो अब 706 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 112% की वृद्धि हुई, जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर अब 1,08,940 हो गई है, पीजी सीटों में भी 127% की वृद्धि हुई, जो 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर अब तक 70,645 हो गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधियों की हिस्सेदारी पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेजों सहित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में अनुमोदित किया गया है। इनमें से 108 मेडिकल कॉलेज प्रचालनरत है। देश में अनुमोदित
चिकित्सा महाविद्यालयों का चरण-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा महाविद्यालयों और इन कॉलेजों को जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक**-II में दिया गया है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम के तहत राजस्थान सरकार को बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर के 04 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों की स्थापना करके इनके उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की गई है और जोधपुर में 01 एम्स को भी अनुमोदित किया गया है।

'एमबीबीएस/पीजी सीटों की वृद्धि के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन' के लिए सीएसएस के तहत, राजस्थान राज्य को 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 750 एमबीबीएस सीटों और 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1467 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

“नर्सिंग शिक्षा परिवर्धन- मेडिकल कॉलेज के साथ सह-स्थान पर नर्सिंग के नए कॉलेज (सीओएन) की स्थापना” हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 157 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 23 राजस्थान में हैं।

समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त कराने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को लागू कर रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के विकास के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक**-III में दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-** IV में दिया गया है।

इसके अलावा, 'भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी) -1 के लिए 435.32 करोड़ रुपये और ईसीआरपी-II के तहत 883.37 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान सरकार को जारी की गई है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, एनएचएम के तहत राजस्थान सरकार को 1634.35 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

*****

अनुलग्नक-I

मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्य-वार ब्यौरा:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिला
चरण-I (58)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3	असम	4	धुबरी, नागांव, उत्तर लखीमपुर, दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ़	2	राजनांदगांव, सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर)
7	हरियाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका, हजारीबाग, पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	वेस्ट गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फल्कावन
14	नागालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी
16	पंजाब	1	एसएएस नगर
17	राजस्थान	7	बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर
18	उत्तर प्रदेश	5	बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज (उत्तरी दिनाजपुर)
चरण –II (24)			
1	बिहार	5	सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा, चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना
4	ओडिशा	1	जाजपुर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिला
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज), देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासात, उलुबेरिया, आरामबाग, झारग्राम, तामलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिदुगुराल्ला, पडेरू, मछलीपट्टनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ़	3	कोरबा, महासमुंद, कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर, हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरी, चिक्काबल्लापुरा
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार
10	मणिपुर	1	चुराचांदपुर
11	नागालैंड	1	मोन
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला, होशियारपुर
14	राजस्थान	15	अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला ऊधम सिंह नगर), पिथौरागढ़, हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी, अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, अरियालुर, कल्लाकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

अनुलग्नक-II

विगत तीन वर्षों में 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों और जारी की गई निधियों का विवरण।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	जिला	अनुमोदन की तिथि	जारी की गई निधि		
					2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	1	पिडुगुराला	19.02.2020	0	50	50
		2	पडेरू	19.02.2020	3.04	50	50
		3	मछलीपट्टनम	19.02.2020	0	50	50
2	असम	4	कोकराझार	19.02.2020	0	163	79.5
3	छत्तीसगढ़	5	कोरबा	19.02.2020	0	50	40
		6	महासमुंद	19.02.2020	0	50	40
		7	कांकेर	19.02.2020	0	50	40
4	गुजरात	8	नर्मदा	13.01.2020	0	48.42	87.58
		9	नवसारी	13.01.2020	0	48.42	87.58
		10	पंचमहल	28.07.2020	0	50	86
		11	पोरबंदर	13.01.2020	4.74	48.42	82.84
		12	मोरबी	26.11.2020	0	20	86
5	कर्नाटक	13	चिक्कबल्लपुर	19.02.2020	0	100	95
6	मध्य प्रदेश	14	सिंगरौली	19.02.2020	0	50	
7	महाराष्ट्र	15	नंदुरबार	19.02.2020	0	50	100
8	मणिपुर	16	चुराचांदपुर	19.02.2020	2.37	163	77.13
9	नगालैंड	17	मोन	28.07.2020	0	155	87.5
10	ओडिशा	18	कालाहांडी	19.02.2020	3.54	46.46	50
11	पंजाब	19	होशियारपुर	13.01.2020	0	50	
12	तमिलनाडु	20	अरियालूर	13.01.2020	0	50	145
		21	कल्लाकुरिची	13.01.2020	0	50	145
13	उत्तर प्रदेश	22	अमेठी	09.03.2020	0	50	50
14	उत्तराखंड	23	रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर	13.01.2020	0	75	50
		24	पिथौरागढ़	19.02.2020	0	75	50
		25	हरिद्वार	19.02.2020	3.04	75	46.96
15	पश्चिम बंगाल	26	उलूबेरिया	02.09.2020	0	100	50
		27	जलपाईगुड़ी	13.01.2020	0	50	20.53

अनुलग्नक - III

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर राज्य-वार एसपीआईपी और व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	133.00	59.76	159.00	2.52	2.00	3.70
2	आंध्र प्रदेश	14,399.00	44,164.00	2,332.75	2,462.75	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	2,828.89	1,893.17	5,634.45	4,386.79	4,727.02	6,559.11
4	असम	32,971.23	18,041.83	23,372.48	15,506.43	35,806.76	9,406.43
5	बिहार	36,045.62	22,938.18	37,358.15	12,848.02	98,944.23	35,877.90
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	14,343.63	10,010.36	14,665.83	3,809.60	7,549.77	6,767.11
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5.76	2.39	2.88	-	2.88	-
9	दिल्ली	-	0.62	500.00	34.31	-	257.53
10	गोवा	115.80	12.85	124.75	54.06	232.06	108.66
11	गुजरात	1,075.17	1,096.30	675.30	328.43	4,599.10	-
12	हरियाणा	16,762.37	803.45	12,613.42	611.35	8,295.83	8,719.42
13	हिमाचल प्रदेश	8,731.00	3,067.99	3,547.39	3,149.75	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	4,363.21	2,086.11	3,368.53	560.09	1,535.16	451.73
15	झारखंड	10,493.20	4,948.99	2,352.00	2,370.65	9,200.00	3,645.07
16	कर्नाटक	16,083.05	20,908.13	15,103.25	15,441.70	7,113.93	4,917.32
17	केरल	10,734.71	6,156.16	5,837.16	4,472.99	12,632.88	5,270.20
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	53,115.51	29,182.37	22,886.44	13,001.87	18,058.74	21,048.57
20	महाराष्ट्र	47,508.02	39,002.64	54,147.40	20,219.84	58,844.37	23,395.90
21	मणिपुर	2,602.17	262.77	2,858.45	680.94	1,779.93	44.62
22	मेघालय	1,282.00	628.34	1,609.04	209.92	1,002.97	755.75
23	मिजोरम	557.00	205.91	18.00	4.30	3.30	3.30
24	नागालैंड	3,855.33	557.28	1,005.04	1,367.04	3,068.98	1,110.37
25	ओडिशा	20,665.69	35,920.28	32,219.80	34,479.62	60,725.53	81,628.87
26	पुदुचेरी	4.00	116.60	22.80	-	-	5.44
27	पंजाब	8,925.00	6,541.42	5,141.90	3,499.20	799.50	21.32
28	राजस्थान	94,252.62	31,238.99	82,158.82	13,969.16	55,662.72	26,254.00
29	सिक्किम	376.68	360.78	371.20	224.27	31.17	5.30
30	तमिलनाडु	32,950.88	30,750.18	24,531.73	26,263.31	51,962.61	38,407.81
31	तेलंगाना	13,970.07	9,798.65	7,512.13	12,838.82	11,386.59	15,419.39
32	त्रिपुरा	4,491.00	3,426.15	4,874.00	4,206.21	4,828.00	4,080.46
33	उत्तर प्रदेश	1,44,397.66	25,405.50	1,22,539.96	11,687.43	37,590.00	17,040.72
34	उत्तराखंड	10,428.68	7,933.71	12,955.74	14,889.74	9,544.10	4,820.47
35	पश्चिम बंगाल	17,727.50	10,424.84	7,851.58	1,604.29	9,298.13	612.80
36	लद्दाख	3,240.67	518.06	3,125.00	470.95	2,680.95	1,215.87

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार हैं।

अनुलग्नक-IV

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के लिए राज्य-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
2	आंध्र प्रदेश	2,500.00	625.00
3	अरुणाचल प्रदेश	250.00	-
4	असम	37,436.75	116.00
5	बिहार	-	-
6	चंडीगढ़	1,200.00	173.43
7	छत्तीसगढ़	12,610.91	1,100.52
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75.00	-
9	दिल्ली	-	-
10	गोवा	-	-
11	गुजरात	18,611.00	3,223.78
12	हरियाणा	8,641.50	-
13	हिमाचल प्रदेश	7,494.20	997.80
14	जम्मू एवं कश्मीर	10,047.03	-
15	झारखंड	37,225.84	24,087.00
16	कर्नाटक	20,626.00	1,875.00
17	केरल	2,500.00	471.50
18	लद्दाख	-	-
19	लक्षद्वीप	125.00	-
20	मध्य प्रदेश	30,442.15	9,942.95
21	महाराष्ट्र	-	-
22	मणिपुर	2,026.00	456.00
23	मेघालय	4,517.00	880.00
24	मिजोरम	2,674.05	27.36
25	नगालैंड	125.00	-
26	ओडिशा	32,805.85	25,855.07
27	पुदुचेरी	725.00	62.28
28	पंजाब	14,562.10	-
29	राजस्थान	49,203.00	10,850.00
30	सिक्किम	125.00	25.63
31	तमिलनाडु	21,630.00	18,335.00
32	तेलंगाना	23,690.55	8,375.00
33	त्रिपुरा	282.13	37.90
34	उत्तर प्रदेश	178,403.74	25,404.44
35	उत्तराखंड	6,501.32	160.00
36	पश्चिम बंगाल	15,019.00	975.45

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार हैं।

*****